महाविद्यालय द्वारा प्रकाशित की जाने वाली विवरणिका का प्रारूप (मॉडल)

विवरणिका का मुखपृष्ठ : "विवरणिका एवं प्रवेश आवेदन–पत्र" सत्र 2010–11

- महाविद्यालय का नाम...
- स्थापना वर्ष ....
- महाविद्यालय का पता ....
- दूरभाष ....ई–मेल....................................वेबसाइट............................. फैक्स.....................................
- नेक द्वारा मूल्यांकन (प्रत्यायन) श्रेणी.................वर्ष.....................
- महाविद्यालय का मोनो...
- विवरणिका का मूल्य

(टीपः पर्याप्त वित्तीय संसाधन होने की स्थिति में महाविद्यालय–भवन का चित्र मुद्रित किया जा सकता है)

संस्था का ध्येय/लक्ष्य कथन (**Mission Statement**)ः संस्था अपना ध्येय/लक्ष्य लिखे जैसे :–

"लक्ष्य" आधारित गुणात्मक शिक्षा एवं शोध के क्षेत्र में उत्कृष्ट केन्द्र के रूप में स्थापित होकर समाज की निर्णायक एवं विकासात्मक गतिविधियों में सक्रिय एवं सार्थक सहभागिता हेतु विद्यार्थियों को सशक्त एवं सम्पूर्ण नागरिक बनाने में शिक्षा का सदुपयोग करना।"

- उद्देश्य : संस्था अपनी संस्था का उद्देश्य लिखे जैसे :

- समाज में सकारात्मक भूमिका निभाने हेतु युवा पीढी को गुणात्मक शिक्षा एवं शोध के अवसर प्रदान करना।
- व्यावसायिक एवं उद्यमी समाज के परिदृश्य के अनुरूप आवश्यक सभी क्षेत्रों में युवा पीढी के कौशल को तराशना, दक्षतायें प्रदान करना।
- युवा पीढ़ी में आत्म–विश्वास का संचार, व्यक्तित्व विकास, अनुसंधानात्मक प्रवृत्तियों, समानता की भावना तथा राष्ट्र प्रेम की भावना प्रस्फुटित करने हेतु वातावरण प्रदान करना।
- ज्ञानपूर्ण और कल्याणकारी समाज के सतत् उन्नयन के लिये शिक्षा के सदुपयोग से मुख्य भूमिका का निर्वहन करना।

महाविद्यालय के सभी शैक्षणिक एवं गैर–शैक्षणिक कार्यक्रमों की दिशा, विद्यार्थियों को समाज के नव– निर्माण, समानता के अधिकार एवं गरिमामय व्यक्तित्व की सीख देने की ओर केन्द्रित होगी ताकि समुचित शिक्षा के आलोक से विद्यार्थी एक सुसंस्कृत, उत्तरदायी, संवेदनशील व्यक्ति तथा देश के श्रेष्ठ नागरिक बन सकें।

- <u>अनुक्रमाणिका</u>

- आचार–संहिता (आचरण–संहिता) : प्रत्येक विद्यार्थी–प्राचार्य, शिक्षकों, र्मचारियों और अपने सहपाठियों से शालीन एवं विनम्र व्यवहार करेंगे।
- प्रत्येक विद्यार्थी अपना पूरा ध्यान महाविद्यालय द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अन्तर्गत अपने विद्या अध्ययन में लगायेंगे साथ ही महाविद्यालय द्वारा आयोजित/अनुमोदित गैर शैक्षणिक कार्यक्रमों में पूर्णतः सहयोग करें।
- महाविद्यालय अर्थात् भवन, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, छात्रावास आदि में शांति, सुरक्षा और स्वच्छता बनाये रखने में प्रत्येक विद्यार्थी रूचि लेंगे। महाविद्यालया की सम्पत्तिअर्थात् भवन साज–सज्जा, विद्युत व्यवस्था, उपकरण आदि को किसी भी रूप में क्षति नहीं पहुचायेंगे।
- विद्यार्थी अपनी कठिनाई के लिये हिंसा आंदोलन या आतंक का मार्ग नहीं अपनायेंगे।
- महाविद्यालय परिसर में किसी भी प्रकार की राजनैतिक गतिविधियां संचालित करना वर्जित है।
- विद्यार्थी को यदि कठिनाई हो तो वे प्राध्यापकों अथवा अति आवश्यक होने पर प्राचार्य के समक्ष पूर्ण अनुशासन से शांतिपूर्वक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा शिकायत निवारण प्रकोष्ठ/शिकायत पेटी के माध्यम से अपनी समस्या महाविद्यालय प्रशासन तक पहॅुचा सकते हैं। महाविद्यालय द्वारा नियुक्त शिक्षक–अभिभावक से संपर्क करें किन्तु बाहरी तत्वों, समाचार पत्रों को माध्यम न बनाये।
- विद्यार्थी को यह सावधानी रखनी होगी कि किसी अनैतिक या गंभीर अपराध का अभियोग उन पर न लगे परन्तु यदि ऐसा हुआ तो उनके विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।
- परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करने या करने का प्रयास करना या सहायक होना दुराचरण माना जायेगा एवं उचित अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- महाविद्यालय एवं छात्रावास की सीमाओं में धूम्रपान, किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों का सेवन सर्वथा वर्जित है।

महत्वपूर्ण (विशेष)ः उपस्थिति :
म0प्र0 विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के अधीन बनाये गये अध्यादेश क्रमांक 6 के अनुसार महाविद्यालय के नियमित विद्यार्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता के लिये 75 प्रतिशत उपस्थित आवश्यक है। इस प्रावधान का पालन दृढ़ता से किया जायेगा। उपस्थिति पूरी न होने पर परीक्षा में नियमित विद्यार्थी के रूप में सम्मिलित होने की पात्रता नहीं होगी।

रैगिंग : मान. सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 27.11.06 संदर्भ एस.एल.पी. 2495 / 06 केरल विश्वविद्यालय विरूद्ध महाविद्यालय प्राचार्यों की परिषद तथा एस.एल.पी. क्र. 24296–24299 / 2004, डब्ल्यू.पी. (सी.आर.सी.) नं. 173 / 2006 तथा एस.एल.पी. क्र. 14356 / 2005 के अनुसार रैगिंग एक दण्डनीय अपराध है। महाविद्यालय या छात्रावास परिसर में या अन्यत्र कहीं भी रैगिंग लेना पूरी तरह प्रतिबंधित है। रैगिंग के लिये दोषी विद्यार्थी को महाविद्यालय से निष्काषित किया जाकर उसके विरूद्ध कठोर निषेधात्मक वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। वरिष्ठ विद्यार्थी इसका ध्यान रखें। –

दण्ड :

मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के अधीन बनाये गये अध्यादेश क्र. 7 की धारा 13 के अनुसार महाविद्यालय परिसर या बाहर अनुशासन भंग किये जाने पर दोषी विद्यार्थी के विरूद्ध निम्नानुसार दण्ड का प्रावधान है :–

1.कक्षाओं से निलम्बन

2.महाविद्यालय से निष्कासन

3.वि.वि. / स्वशासी परीक्षा में सम्मिलित होने से रोकना

आवश्यक सूचनायें :

- महाविद्यालय में स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में सेमेस्टर पद्धति लागू है।
- आवेदक एवं उनके अभिभावक से अपेक्षा है कि विवरणिका को पूर्णतः पढ़ लें। विद्यार्थी अपना प्रवेश आवेदन फार्म स्वयं भरें एवं महाविद्यालय में स्वयं आकर जमा करें।
- विद्यार्थी अपना प्रवेश शुल्क स्वयं जमा करें तथा मूल प्रवेश रसीद प्राप्त करें। मूल रसीद सावधानीपूर्वक सम्हालकर रखें।
- प्रवेश आवेदन फार्म के साथ अपनी अंकसूचियॉ एवं अन्य समस्त आवश्यक प्रमाण पत्रों की छायाप्रतियॉ अनिवार्य रूप से संलग्न करें। प्रवेश के समय मूल अंकसूचियॉ तथा प्रमाण–पत्र सत्यापन हेतु प्रस्तुत करें। आवेदन फार्म के साथ संलग्न किये गये प्रमाण पत्रों के आधार पर प्रवेश अधिभार प्रदान किया जायेगा।
- महाविद्यालय में प्रवेश संबंधी समस्त नियम एवं सूचनाएं समय–समय पर सूचना पटल पर चस्पा की जाएगी। विद्यार्थी नियमित रूप से अवलोकन करें एवं प्रवेश की अंतिम तिथि का विशेष ध्यान रखें।
- आवेदन की समस्त पूर्तियां की जाना अनिवार्य है। अपूर्ण आवेदन पर विचार नहीं किया जावेगा।
- परीक्षा परिणाम अघोषित होने की स्थिति में भी प्रावधिक प्रवेश लेना अनिवार्य होगा, निर्धारित तिथि के बाद प्रवेश किसी भी दशा में संभव नहीं होगा।
- निर्धारित तिथि के बाद प्रवेश किसी भी दशा में सम्भव नहीं होगा।

- जाली प्रमाण–पत्रों के आधार पर/गलत जानकारी देने पर जानबूझकर छिपाये गये प्रतिकूल तथ्यों/ प्रशासकीय अथवा कार्यालयीन असावधानीवश यदि किसी आवेदक को प्रवेश मिल गया है तब ऐसे प्रवेश को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार प्राचार्य को होगा।
- प्रवेश लेकर बिना किसी समुचित कारण, पूर्व अनुमति या सूचना के बिना कक्षा में लगातर 15 दिवस तक अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों का प्रवेश निरस्त करने का पूर्ण अधिकार प्राचार्य को होगा।
- प्रवेश के बाद सत्र के दौरान विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय छोड़ देने अथवा उसका प्रवेश निरस्त होने अथवा उसका निष्कासन किये जाने की स्थिति मं विद्यार्थी को अवधान (कॉशन मनी) के अतिरिक्त अन्य कोई शुल्क वापिस नहीं किया जायेगा। तकनीकी/व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश हो जाने पर विद्यार्थी को मात्र रूपये 100/– प्रक्रिया शुल्क काटकर जमा की गई सम्पूर्ण शुल्क की राशि वापिस की जायेगी। प्रावधिक प्रवेश प्राप्त विद्यार्थी अनुत्तीर्ण घोषित होने पर रूपये 100/– प्रक्रिया शुल्क काटकर शेष राशि वापिस कर दी जायेगी।
- कक्षा में मोबाइल फोन का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। प्रयोग करने पर मोबाइल फोन जब्त कर लिया जायेगा और आर्थिक दण्ड(जुर्माना) के लिये प्राचार्य अधिकृत है। इसकी पुनरावृत्ति होने पर दण्ड राशि उत्तरोत्तर बढ़ा दी जायेगी और मोबाइल फोन जप्त कर लिया जायेगा।
- कक्षाओं में विद्यार्थी की 75 प्रतिशत उपस्थिति आवश्यक है।
- महाविद्यालय में रैगिंग पूर्णतः प्रतिबंधित है। विद्यार्थी को स्वयं एवं विद्यार्थी के अभिभावक को अपने पाल्य के रैगिंग की गतिविधियों में शामिल नहीं होने का वचन पत्र देना अनिवार्य होगा।
- रैगिंग में लिप्त विद्यार्थी के विरूद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही, महाविद्यालय और छात्रावास से निष्कासन, छात्रवृत्ति तथा अन्य प्रदत्त लाभ वापस लेने की कार्यवाही के अलावा अर्थदण्ड और सार्वजनिक क्षमायाचना का भी प्रावधान रहेगा।

महाविद्यालय का परिचय :

इसमें महाविद्यालय का संक्षेप में परिचय दें। परिचय में इन बिन्दुओं का समावेश करें:– स्थापना वर्ष, संस्था की प्रारंभिक स्थिति से लेकर अब तक की गई विकास यात्रा, महाविद्यालय में उपलब्ध संरचनात्मक सुविधायें, महाविद्यालय की उल्लेखनीय उपलब्धियॉ, विगत वर्ष में छात्रों द्वारा अर्जित विभिन्न क्षेत्रों यथा– परीक्षा परिणाम, प्राविण्य सूची में स्थान, एन.सी.सी., एन.एस.एस., कीडा, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक गतिविधियों आदि में राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर पर प्राप्त विशिष्ट पुरूस्कार, सहभागिता, कीर्तिमान। विगत वर्षो में हुए परिसर–स्थापन (Campus Placements) गौरवशाली ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आदि।

अकादमिक व सांस्कृतिक कैलेण्डर :

(अ) सत्र 2010–11 हेतु प्रस्तावित अकादमिक कैलेण्डर(सेमेस्टर परीक्षा पद्धति)
(ब) सत्र 2010–11 हेतु प्रस्तावित सांस्कृतिक एवं क्रीडा कैलेण्डर(संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा जारी)
(स) सत्र 2010–11 हेतु प्रस्तावित खेलकूद, योग इत्यादि गतिविधियों की समयावधि समय सारिणी में अंकत करना है।

सेमेस्टर पद्धति (परिचय) :

शासन द्वारा सत्र 2008–09 से महाविद्यालय में स्नातक प्रथम वर्ष एवं स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध कक्षा में सत्रीय पद्धति (Semeter system) लागू की गई है। इसके अन्तर्गत प्रत्येक छः माह पश्चात् सत्रीय परीक्षायें आयोजित होंगी। प्रत्येक सेमेस्टर की मुख्य परीक्षाओं हेतु विद्यार्थियों को परीक्षा शुल्क के साथ परीक्षा फार्म भरने होंगे। इन परीक्षाओं में जो विद्यार्थी दो विषयों (स्नातक)/दो प्रश्नपत्रों (स्नातकोत्तर) में न्यूनतम उत्तीर्णांक प्राप्त नहीं कर पाते हैं, उन्हें ए.टी.के.टी. (Allowed To Keep Term) प्राप्त होती है। उन्हें ए.टी.के.टी. प्राप्त विषय/प्रश्नपत्र हेतु परीक्षा आवेदन पत्र शुल्क अलग से जमा करना होगा। इस पद्धति में, विद्यार्थी को सतत मूल्यांकन प्रक्रिया, प्रोजेक्ट वर्क जॉब इंटर्नशिप के लिये अंकों का निर्धारण किया गया है। परीक्षा परिणाम के कुल प्राप्तांकों में उपरोक्त के लिये निर्धारित अंकों को जोड़ा जायेगा।

I महाविद्यालय में संचालित स्नातक पाठ्यक्रम एवं उपलब्ध स्थान (सीट्स)

स्नातक स्तर में महाविद्यालय के विभिन्न संकायों के अन्तर्गत प्रत्येक कक्षा हेतु अध्यापन किये जा रहे पाठ्यक्रमों/विषयों का सम्पूर्ण विवरण दें। अनिवार्य विषय के साथ–साथ विषय समूहों में से ऐच्छिक विषयों का उल्लेख स्पष्ट रूप से करें। विषय संयोजन (Subject combination) की जानकारी स्पष्ट रूप से दें।

II स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम एवं उपलब्ध स्थान (सीट्स) :

महाविद्यालय में जिन–जिन विषयों में स्नातकोत्तर अध्ययन की सुविधा है, उन विषयों का उल्लेख करें।

III रोजगारोन्मुखी व्यावसायिक पाठ्यक्रम/स्व–वित्तीय पाठ्यक्रम/एड–ऑन कोर्सः

महाविद्यालय में यू.जी.सी./जनभागीदारी योजनान्तर्गत संचालित पाठ्यक्रमों के नाम, उनके सम्पूर्ण विषयों की सूची, शुल्क राशि, उपलब्ध सीट्स, पेमेण्ट सीट्स प्रवेश प्रक्रिया आदि का स्पष्ट उल्लेख करें।

प्रवेश संबंधी नियम :

(A) महाविद्यालय में प्रवेश, मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी प्रवेश के मार्गदर्शी सिद्धान्त/नियम 2010–11 के अन्तर्गत गुणानुक्रम एवं स्थान की उपलब्धता के आधार पर दिये जायेंगे।

(B) आरक्षण संबंधी नियम – म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी प्रवेश के मार्गदर्शी सिद्धान्त नियम 2010–11 में वर्णित आरक्षण नीति एवं आरक्षण संबंधी प्रावधानों के अनुरूप, प्रवेश हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदत्त की जायेगी। समय–समय पर शासन द्वारा प्रसारित आरक्षण संबंधी प्रावधान भी शैक्षणिक सत्र के दौरान प्रभावशील रहेंगे।

(C) **अधिभार संबंधी नियम –**

- अधिभार मात्र गुणानुक्रम निर्धारण के लिये ही प्रदान किया जायेगा। पात्रता प्राप्ति हेतु इसका उपयोग नहीं किया जायेगा।
- अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के प्रतिशत पर ही अधिभार देय होगा। अधिभार हेतु समस्त प्रमाण–पत्र प्रवेश आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन पत्र जमा करने के बाद प्रस्तुत किये गये प्रमाण पत्रों पर अधिभार देय नहीं होगा।
- एक से अधिक अधिभार की पात्रता की स्थिति में केवल सर्वाधिक, एक अधिभार ही देय होगा।
- एन.सी.सी./एन.एस.एस./खेलकूद में विशिष्ट प्रावीण्यता के लिये निश्चित अधिभार देय होगा जो विद्यार्थी की उपलब्धि के अनुपात में शासन द्वारा प्रवेश के मार्गदर्शी नियमों 2010–2011 के आधार पर होगा।
- स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में अर्हकारी परीक्षा के संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन कर प्रवेश चाहने वाले विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांकों में 5 प्रतिशत घटाकर उनका गुणानुक्रम निर्धारित किया जायेगा। अधिभार की पात्रता होने पर घटे हुए प्राप्तांकों पर ही अधिभार देय होगा।

(D) **अन्य नियम :**

- सामान्य एवं आरक्षित श्रेणी के लिये अलग–अलग गुणानुक्रम सूची तैयार की जायेगी।
- प्रवेश हेतु समिति द्वारा अनुशंसित विद्यार्थियों की सूची, महाविद्यालय के सूचना पटल पर चस्पा की जायेगी। इसके लिये विद्यार्थियों को नियमित रूप से सूचना पटल देखना होगा।
- विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश के लिये कक्षावार अंतिम तिथि की सूचना, महाविद्यालय के सूचना पटल पर कम से कम सात दिन पूर्व लगाई जावेगी।
- बोर्ड/ विश्वविद्यालय द्वारा अंकसूची प्रदान न किये जाने की स्थिति में पूर्व संस्था के प्राचार्य द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र/प्राविधिक प्रमाण पत्र के आधार पर बिना अंकसूची के आवेदन जमा किये जायेंगे। इंटरनेट से डाउनलोड कर प्राप्त

अंकसूची की प्रति को भी मान्य किया जायेगा। निर्धारित तिथि तक परीक्षा परिणाम अघोषित होने की स्थिति में भी प्रावधिक प्रवेश लेना अनिवार्य होगा। उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रवेश नियमित किया जायेगा एवं अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रवेश निरस्त किया जायेगा।

(E) प्रवेश सूची का प्रकाशन :

- प्राचार्य द्वारा प्रवेश शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि की सूचना देते हुए प्रवेश हेतु अनुशंसित विद्यार्थियों की अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांकों एवं जहॉ अधिभार देय हैं, वहॉ अधिभार देने के बाद कुल प्राप्तांकों की गुणानुक्रम सूची, प्रतिशत और अंकों के विवरण के साथ, सूचना पटल पर लगाई जायेगी।
- प्रवेश के समय प्रवेश समिति के समक्ष आवेदन पत्र के साथ लगाई गई अंकसूचियों, प्रमाण पत्र की छायाप्रति को सत्यापित करने के लिये मूल अंकसूची तथा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- निर्धारित प्रवेश शुल्क जमा करने पर ही महाविद्यालय में प्रवेश वैध एवं मान्य होगा।
- घोषित प्रवेश सूची के विद्यार्थियों को शुल्क जमा करने के लिये निर्धारित अंतिम तिथि व्यतीत हो जाने के बाद केवल स्थान रिक्त होने की दशा में ही विलम्ब शुल्क रू. 100/– के साथ प्रवेश दिया जा सकेगा। तथापि, ऐसे प्रकरणों में 30 जून के पश्चात् प्रवेश की अनुमति कतई नहीं दी जायेगी।

(F) प्रवेश के लिये आवश्यक प्रमाण पत्र

महाविद्यालय में प्रथम बार प्रवेश ले रहे, विद्यार्थी अपने प्रवेश आवेदन फार्म के साथ निम्नलिखित दस्तावेज अनिवार्य रूप से संलग्न करें :–

1. स्थानांतरण प्रमाण (टी.सी.) की सत्यापित प्रति (प्रवेश मिलने पर मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र टी.सी. जमा करना होगा)
2. विगत परीक्षा की सत्यापित अंकसूची
3. मूल निवासी प्रमाणपत्र की सत्यापित प्रति
4. चरित्र प्रमाणपत्र
5 जाति–प्रमाणपत्र(अनु. जाति/अनु. जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (चिकनी परत को छोड़कर) के आवेदकों द्वारा
6. विकलांग/ निःशक्तजन तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने का सक्षम अधिकारी का प्रमाणपत्र
7. अध्ययन क्रम में अंतराल होने पर प्रमाणपत्र (गैप सर्टिफिकेट)
8. रक्त समूह प्रमाणपत्र
9. आव्रजन/प्रवजन प्रमाण पत्र (माइग्रेशन सर्टिफिकेट)– (यदि आवेदक सी.बी.एस.ई. पाठ्यक्रम/म.प्र. माध्यमिक शिक्षा मंडल या म.प्र. के विश्वविद्यालयों के अतिरिक्त अन्य किसी मंडल या विश्वविद्यालय का हो)
10. जन्मतिथि प्रमाण पत्र हेतु 10 वीं कक्षा की सत्यापित अंकसूची

11. यदि स्थानांतरण के आधार पर प्रवेश लेना हो तो माता/पिता/पालक का, कार्यालय में पदस्थ का प्रमाणपत्र तथा स्थानांतरण आदेश की छायाप्रति(केवल शासकीय, अर्द्ध शासकीय कर्मचारियों हेतु)

(G) <u>शोध हेतु प्रवेश नियम</u> :

- पीएच.डी. की उपाधि के लिये पंजीकृत शोधार्थियों को महाविद्यालय में दो वर्ष के लिये प्रवेश दिया जायेगा।
- शोधार्थियों का महाविद्यालय में पदस्थ शिक्षक के मार्गदर्शन में पंजीयन होना आवश्यक है, अथवा महाविद्यालय के शिक्षक सह–मार्गदर्शक (ब्व.हनपकम) हो तभी प्रवेश की सुविधा प्राप्त होगी।
- प्रवेश हेतु निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन करना होगा। प्रवेश के बाद निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद ही नियमित प्रवेश मान्य होगा।
- विशेष परिस्थितियों में शोध निदेशक की अनुशंसा पर प्राचार्य की अनुमति से समयावधि को अधिकतम 4 वर्ष की जा सकेगी।
- शोधार्थी की प्रतिदिन उपस्थिति का रिकार्ड शोध निदेशक ही रखेंगे। प्रत्येक छः माह में प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- शोध–प्रबंध के अग्रेषण के पूर्व शोधार्थी, अपने शोध निदेशक से प्रमाणित, पुस्तकालय, प्रयोगशाला एवं संबंधित विभाग का अदेय प्रमाण पत्र (नो–ड्यूज) प्राचार्य के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।
- अध्ययन–अवकाश पर शोध कर रहे शिक्षक का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रेषितउपस्थिति प्रमाणपत्र और तीन माह में शोध कार्य की प्रगति रिपोर्ट प्रापत होने पर ही वेतन आहरण अधिकारी द्वारा ऐसे शोध शिक्षक का वेतन आहरित किया जावेगा।
- शोधार्थी महाविद्यालय तथा संबंधित विश्वविद्यालय निर्धारित नियमों के अन्तर्गत शोध कार्य संपादित कर सकेंगे।

(H) **विदेशी छात्र**

विदेशी छात्रों को, उच्च शिक्षा विभाग एवं सबंधित विश्वविद्यालय द्वारा जारी प्रवेश नियमों के अन्तर्गत प्रवेश दिया जा सकेगा। विदेशी छात्रों के पास विद्यार्थी बीजा, संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा जारी पात्रता प्रमाणपत्र, पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रमाणित आवास प्रमाण पत्र, एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा प्रमाणित नवीनतम स्वास्थ्य प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। स्वास्थ्य प्रमाणपत्र में स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिये कि छात्र एड्स बीमारी से ग्रसित नहीं है।

परिचय पत्र :

परिचय पत्र, प्रत्येक विद्यार्थी को दिया जावेगा। प्रत्येक विद्यार्थी के लिये पासपोर्ट आकार का फोटो लगा परिचय पत्र बनवाना एवं महाविद्यालय में प्रतिदिन लाना अनिवार्य है। परिचय पत्र के अभाव में– पुस्तकालय से पुस्तके, स्थानांतरण प्रमाणपत्र,

कॉशन मनी नहीं मिलेगी। महाविद्यालय के समारोहों/कार्यक्रमों में परिचय पत्र के बिना प्रवेश नहीं मिल सकेगा। यह एक महत्वपूर्ण अभिलेख है। इसके खो जाने पर इसकी सूचना तुरंत महाविद्यालय एवं पुलिस थाना को देनी चाहिये। पुलिस थाने में की गई रिपोर्ट की छायाप्रति संलग्न करने पर ही डुप्लीकेट परिचय पत्र बनाया जायेगा।

स्थानांतरण प्रमाण पत्र (टी.सी.) प्राप्त करने के नियमः

स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिये प्रत्येक विद्यार्थी को संबंधित विभागों से अदेय प्रमाण–पत्र (नो–ड्यूज) लेना होगा। टी.सी. के लिये निर्धारित शुल्क जमा करने होंगे। आवेदन पत्र के साथ शुल्क की रसीद व अदेय प्रमाणपत्र संलग्न कर कार्यालय में जमा करना होगा।

कॉशन मनी लौटाने की विधि :

1. विद्यार्थी द्वारा टी.सी. लेने के पश्चात् ही काशन मनी का भुगतान होगा।
2. काशन मनी प्राप्त करने के लिये आवेदन के साथ प्रवेश की मूल रसीद संलग्न कर 15 दिन पूर्व कार्यालय में जमा करना होगा।
3. महाविद्यालय छोड़ने के तीन वर्ष के भीतर कॉशन मनी प्राप्त की जा सकेगी। इसके पश्चात् शासन के आदेशानुसार उक्तराशि राजसात हो जायेगी।

- **निर्धन विद्यार्थी सहायता कोष :**
  इसके अन्तर्गत अनारक्षित वर्ग के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के विद्यार्थियों, को सहायता प्रदान की जाती है। इसके लिये विद्यार्थी को आवश्यक प्रमाण पत्रों सहित आवेदन करना होगा।
- **रेल्वे कंसेशन की सुविधा :**
  प्रवेश आवेदन फार्म में जिस स्थान का स्थायी पता अंकित किया है उसके अनुसार अवकाश में गृह नगर जाने के लिये रेल्वे कंसेशन हेतु प्रमाण पत्र महाविद्यालय द्वारा दस दिन पूर्व निर्धारित फार्म में आवेदन करने पर दिया जाता है।
- **छात्रवृत्तियॉ/शासकीय योजनाएं :**
  महाविद्यालया में भारत सरकार द्वारा देय एवं म.प्र. शासन द्वारा देय एकीकृत छात्रवृत्तियों एवं शिष्यवृत्तियों को नियमानुसार देने की व्यवस्था है। जिसकी सूचना महाविद्यालय द्वारा समय–समय पर सूचना पटल पर लगाई जाती है। पात्र विद्यार्थी, अपना आवेदन आयुक्त, उच्च शिक्षा की ओर, प्राचार्य के माध्यम से भेजें। योजनाओं की विस्तृत जानकारी निम्नानुसार है :–
- **जनभागीदारी समिति :**
  इसके अन्तर्गत जनभागीदारी योजना, जनभागीदारी समिति द्वारा संचालित स्व–वित्तीय पाठ्यक्रम, समिति द्वारा महाविद्यालय में किये गये विकास कार्यों का उल्लेख किया जाना है।

- शिक्षक–अभिभावक योजना :
  महाविद्यालय में विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास एवं बेहतर शैक्षणिक विकास का दृष्टिगत रखते हुए शिखक–अभिभावक योजना संचालित है। विद्यार्थी महाविद्यालय में आने वाली अपनी किसी भी समस्या का निदान शिक्षक– अभिभावक के माध्यम से कर सकते हैं। समय–समय पर बैठक आयोजित कर, शिक्षक अभिभावक विद्यार्थियों की प्रगति एवं अन्य गतिविधियों की जानकारी अभिभावक को दी जाती है।
- **गॉव की बेटी योजना–**
  उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी नियमों एवं निर्देशों के अनुसार ग्रामीण छात्राओं को छात्रवृत्ति दी जाती है।
- **प्रतिभा किरण योजना –**
  उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी नियमों एवं निर्देशों के अनुसार शहरी छात्राओं को छात्रवृत्ति दी जाती है।
- **विक्रमादित्य योजना –**
  उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी नियमों एवं निर्देशों के अनुसार सामान्य वर्ग के छात्रों के लिये छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।
- **पी.एच.डी. शोधार्थियों को सहायता –** अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियों को नियमानुसार छात्रवृत्ति दी जाती है।
- **छात्राओं हेतु आवागमन सुविधा** – महाविद्यालय से 05 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर निवास करने वाली छात्राओं को अधिकतम दो सौ शैक्षणिक दिवस के लिये आवागमन हेतु रूपये 5/– प्रतिदिन की दर से भुगतान किया जाता है।
- **विकलांग शोध छात्रवृत्ति** – नियमानुसार प्रोत्साहन पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है।
- **विवेकानंद कैरियर एवं रोजगार मार्गदर्शन प्रकोष्ठ–**
  इस प्रकोष्ठ के द्वारा विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की जानकारी, युवा अद्यमियों के आवश्यक मार्गदर्शन तथा रोजगार हेतु प्रशिक्षण आदि की जानकारी प्रदान की जाती है।
- **बुक बैंक योजना–**
  महाविद्यालय में अध्ययनरत् अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को बुक बैंक योजनान्तर्गत पाठ्य पुस्तकें एवं स्टेशनरी निःशुल्क प्रदाय की जाती है।
- **सिटीजन चार्टर एवं सूचना का अधिकारः**
  शासन के निर्देशानुसार, प्रशासन में पारदर्शिता व्यक्त करने के उद्देश्य से महाविद्यालय में लगे बड़े–बड़े बोर्डों पर जानकारियॉ अंकित कर दी गई है। विद्यार्थी

बोर्ड पर उल्लेखित जानकारियों के संबंध में शासन द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान कर, संबंधित सत्य प्रतिलिपियॉ प्राप्त कर सकते हैं।

- **महिला उत्पीड़न प्रकोष्ठ :**
  किसी भी प्रकार से पीड़ित होने पर यह प्रकोष्ठ छात्राओं की समस्याओं का निदान करती है। इसकी जानकारी भी महाविद्यालय में लगे बोर्ड पर अंकित की गई है। महाविद्यालय में इसके लिये एक शिकायत पेटी भी लगी हुई है।

- **रेमेडियल कोचिंगः**
  (जिन महाविद्यालयों में यह कोचिंग संचालित है उसकी जानकारी दें)

(टीप – विद्यार्थियों के प्रयोग हेतु छात्रवृत्तियों के फार्म विवरणिका में संलग्न करें।)

संरचनात्मक सुविधायें :

महाविद्यालय में उपलब्ध संरचनात्मक सुविधाओं का उल्लेख करें। मॉडल के रूप में संरचनात्मक सुविधाओं के बिन्दु निम्नानुसार है :–

शैक्षणिक एवं प्रयोगशालायें –

- समस्त कक्ष अध्यापन सुविधायुक्त
- कक्षों में विद्यार्थी संख्या के अनुरूप फर्नीचर उपलब्ध
- आधुनिक दृष्य–श्रव्य (Audio-Visual Aids) प्रणाली से सुसज्जित व्याख्यान कक्ष जिसमें– ओवर हेड प्रोजेक्टर (OHP) स्लाइड प्रोजेक्टर, टी. वी., वी.सी.आर.सी.डी. प्लेयर, माइक, कैमरे, मल्टीमीडिया आदि सुविधायें उपलब्ध हैं।
- कम्प्यूटर प्रयोगशाला, इंटरनेट सुविधायुक्त, आधुनिक कम्प्यूटर्स
- अध्यापन किये जाने वाले विषयों की उपकरणों से युक्त सुसज्जित प्रयोगशालायें
- कक्षों में पर्याप्त संख्या में ट्यूबलाइट, सीलिंग फैन
- भाषा प्रयोगशाला
- सभागृह

पुस्तकालय एवं वाचनालय :

- पूर्ण रूप से कम्प्यूटरीकृत लायब्रेरी/लायब्रेरी आटोमेशन कार्य प्रगति पर
- पुस्तकालय का समय प्रत्येक कार्यदिवस पर प्रातः........ बजे से सायं .... बजे तक
- उपलब्ध अध्ययन सामग्री ....से अधिक पाठ्यपुस्तकें............... जर्नल्स, ...पत्रिकायें ....समाचार ....संदर्भ एवं दुर्लभ ग्रन्थ.............

प्रतियोगी पत्रिकाएं

- शोध–छात्रों हेतु संदर्भ कक्ष स्थापित है।
- स्नातकोत्तर विद्यार्थियों के लिये विभागीय पुस्तकालय

- आरक्षित संवर्ग के विद्यार्थियों के लिये पृथक से बुक बैंक की सुविधा
- पिछले पांच वर्षों के प्रश्नपत्र
- नेट वर्किंग रिसोर्स सेंटर तथा इंटरनेट सुविधा
- पुस्तकालय एवं वाचनालय संबंधी नियमावली का सूचना बोर्ड पुस्तकालय में लगा दिया गया है।

कीडा सुविधायें :

- विशाल खेल मैदान
- स्पोर्टस–रूम
- बास्केट बॉल कोर्ट, बैडमिण्टन हॉल, टेबिल टेनिस हाल
- शारीरिक सौष्ठन हेतु अत्याधुनिक मल्टी–जिम
- इंडोर एवं आउटडोर गेम्स की पूर्ण सुविधायें

अन्य सुविधायें :

- शुद्ध पेयजल हेतु एक्वागार्ड युक्त..................वॉटर कूलर्स
- साफ एवं स्वच्छ पुरूष प्रसाधन तथा महिला प्रसाधन
- छात्राओं हेतु कॉमन रूप
- छात्रसंघ कक्ष
- केण्टीन
- छात्रावास

I शैक्षणेत्तर गतिविधियॉ :

- एन.सी.सी. : (महाविद्यालय में संचालित एन.सी.सी. इकाई की जानकारी दें)
- एन.एस.एस.: (महाविद्यालय में संचालित ईकाईयों तथा उसमें पंजीकृत विद्यार्थियों की संख्या की जानकारी दें। एन.एस.एस. की साप्ताहिक गतिविधियों दस दिवसीय एवं वार्षिक शिविर की जानकारी)

II कीडा गतिविधियॉ :महाविद्यालय में उच्च शिक्षा विभाग,मध्यप्रदेश शासन तथा संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा निर्देशित विभिन्न खेल विधाओं के आयोजन, प्रशिक्षण एवं सहभागिता की जानकारी)

III पूर्व छात्र परिषद –(old Boys Association) महाविद्यालय के पूर्व विद्यार्थियों के अनुभव व ज्ञान का लाभ लेने, महाविद्यालय के विकास हेतु आर्थिक संसाधन जुटाने के उद्‌देश्य से शासन के निर्देशानुसार महाविद्यालय में पूर्व छात्र परिषद गठित है।
(परिषद का नाम तथा गठन के वर्ष की जानकारी दें)

- **शुल्क संरचनाः** एक दृष्टि में – महाविद्यालय में प्रति वर्ष प्रवेश के समय देय शुल्क की राशि की तालिका प्रकाशित करें तालिका में विभिन्न शीर्षों (Head) के अन्तर्गत ली जाने वाली विभिन्न मदों को दर्शाये।

(अ) शासकीय शुल्क
(ब) अशासकीय शुल्क
(स) महाविद्यालयीन शुल्क
(द) विश्वविद्यालयीन शुल्क
(ई) जनभागीदारी शुल्क
(फ) स्वशासी निधि के अन्तर्गत शुल्क(स्वशासी महाविद्यालय के लिये)

- पीएच.डी. हेतु शोध छात्रों से लिया जाने वाली प्रवेश शुल्क
- छात्रावास के शुल्क का विवरण
- प्रवेश आवेदन पत्र – व्यावसायिक पाठ्यक्रम/परंपरागत पाठ्यक्रम
- रैगिंग में शामिल न होने के संबंध में विद्यार्थी का स्वयं का एवं अभिभावक का अपने पाल्य हेतु वचनपत्र का प्रारूप
- महाविद्यालय स्टॉक की सूची – योग्यता सहित
- उच्च शिक्षा विभाग की वेबसाइट

विशेष

मंत्रालय,उच्च शिक्षा विभाग,मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक 2516/शा–1/05 भोपाल दिनांक 20.9.2005 के निर्देशानुसार –"समस्त महाविद्यालयों के प्राचार्यों को निर्देशित किया जाता है कि महाविद्यालय के प्रास्पेक्टस में महाविद्यालय के भवन के चित्र के अतिरिक्त अन्य कोई चित्र या व्यक्ति विशेष के चित्र कदापि न छापे जायें। इन निर्देशों को कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।"

प्रमुख सचिव,
उच्च शिक्षा,मध्यप्रदेश

नोट : विवरण पत्रिका का मूल्य 100/– से अधिक न रखा जाए।

(शासन द्वारा अनुमोदित)

(आशीष उपाध्याय)
सचिव/आयुक्त
उच्च शिक्षा संचालनालय, भोपाल